रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062026-273141
CG-DL-E-04062026-273141

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2026/ज्येष्ठ 14, 1948
No. 393]	NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2026/JYAISTHA 14, 1948

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2026

सा.का.नि. 440(अ).— केंद्र सरकार, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (14 का 2020) की धारा 54 की उप-धारा (2) के खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ण) और (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (सदस्यों की नियुक्ति और नामांकन की रीति, उनका वेतन, भत्ते तथा सेवा की निबंधन एवं शर्तें और संपत्ति की घोषणा, व्यावसायिक और वाणिज्यिक कार्य) नियम, 2020 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. (1) इन नियमों को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (सदस्यों की नियुक्ति और नामांकन की रीति, उनका वेतन, भत्ते तथा सेवा की निबंधन एवं शर्तें और संपत्ति की घोषणा, व्यावसायिक और वाणिज्यिक कार्य) संशोधन नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (सदस्यों की नियुक्ति और नामांकन की रीति, उनका वेतन, भत्ते तथा सेवा की निबंधन एवं शर्तें और संपत्ति की घोषणा, व्यावसायिक और वाणिज्यिक कार्य) नियम, 2020 में,

(क) नियम 5 के उप-नियम (2) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण.- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां अध्यक्ष केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सेवा में है, आयोग में उसकी नियुक्ति को प्रतिनियुक्ति माना जाएगा";

(ख) नियम 10 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) आयोग के अध्यक्ष अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 या कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (19 का 1952) के उपबंधों, जैसा भी मामला हो, द्वारा शासित होंगे, जहां सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 के तहत सदस्यता लेने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।"

(ग) नियम 13 के उप-नियम (2) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण.- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां अध्यक्ष या सदस्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सेवा में हैं, वहां स्वायत्त बोर्डों में उनकी नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर मानी जाएगी।"

(घ) नियम 18 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्य अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 या कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (19 का 1952) के उपबंधों, जैसा भी मामला हो, द्वारा शासित होंगे, जहां सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 के तहत सदस्यता लेने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।"

(ङ) नियम 20 में,-

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"(1क) यदि आयोग का सचिव केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सेवा में है, तो उसके वेतन और भत्ते, इसके निमित्त लागू नियमों या उप-नियम (1) के अनुसार जो भी अधिक हो, विनियमित किए जाएंगे।

"स्पष्टीकरण.- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां सचिव केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सेवा में है, वहां आयोग में उनकी नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर मानी जाएगी।"

(च) उप-नियम (2) के खंड (ii) में "पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "सात वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं.वाई-18011/16/2021-ईपी-III]

सत्यजीत पॉल, वरिष्ठ सांख्यिकी सलाहकार

टिप्पण: प्रमुख नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 18 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.771(अ), के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात दिनांक 14.02.2022 के सा.का.नि.116(अ) के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF AYUSH

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2026

G.S.R. 440(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (o) and (p) of sub-section (2) of section 54 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the National Commission for Indian System of Medicine (Manner of Appointment and Nomination of Members, Their Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements) Rules, 2020, namely:–

1**.** (1) These Rules may be called the National Commission for Indian System of Medicine (Manner of Appointment and Nomination of Members, Their Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in Official Gazette.

2. In the National Commission for Indian System of Medicine (Manner of Appointment and Nomination of Members, Their Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements) Rules, 2020,-

(a) in rule 5, in sub-rule (2), the following Explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation.- For the purposes of this sub-rule, it is clarified that where, the Chairperson is in the service of the Central Government or a State Government or Union territory Administration, his appointment in the Commission shall be treated as on deputation.";

(b) in rule 10, for sub-rule(1), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(1) The Chairperson of the Commission shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962 or the Employees' Provident Funds and the Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) , as the case may be, where no option to subscribe under the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 is available.";

(c) in rule 13, in sub-rule (2), the following Explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation.- For the purposes of this sub-rule, it is clarified that where the President or Member is in the service of the Central Government or a State Government or Union territory Administration, his appointment in Autonomous Boards shall be treated as on deputation.";

(d) in rule 18, for sub-rule(1), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(1) The President and Members of the Autonomous Boards shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962 or the Employees' Provident Funds and the Miscellaneous Provisions Act, 1952(19 of 1952), as the case may be, where no option to subscribe under the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 is available.";

(e) in rule 20,-

(i) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(1A) If the Secretary to the Commission is in service of the Central Government or a State Government or Union territory Administration, his salary and allowances shall be regulated in accordance with the rules applicable to him or sub-rule (1), whichever is higher.

"Explanation.- For the purposes of this sub-rule, it is clarified that where the Secretary is in the service of the Central Government or a State Government or Union territory Administration, his appointment in the Commission shall be treated as on deputation.";

(ii) sub-rule (2), in clause (ii), for the words "fifteen years", the words "seven years" shall be substituted.".

[F. No. Y-18011/16/2021-EP-III]

SATYAJIT PAUL, Senior Statistcal Advisor

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R.771(E), dated the 18th December, 2020 and subsequently amended, *vide* G.S.R 116(E) dated the 14th February, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA